



३५८।।

दूरभाष 2286709  
2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : २५४८ / ०५ / ७६ / एक / २०१५ १६  
सेवा में,

दिनांक : १५ सितम्बर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-सिद्धार्थनगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झौड़ा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वर्सितियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वर्सितियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक आफ बडौदा	31780100002085	IFSC Code BARBOTUTARI	106.648 (धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	सिद्धार्थनगर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०५० सिद्धार्थनगर	मो० इन्दिरानगर में श्यामरुद्दर के घर से कब्रिस्तान तक, विकास के घर से मनोज के घर तक और रीताराम के घर से अनूप व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	17.225
2	सिद्धार्थनगर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०५० सिद्धार्थनगर	मो० विजयनगर में खुदर प्रसाद के घर से शेषराम, रंजीत, प्रहलाद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.389
3	सिद्धार्थनगर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०प० उसका बाजार	मो० लोहिया नगर में नौगढ़ गोरखपुर पिंच रोड रमेश व सतीश के मकान तक एवं पुलिया के पास (बिजली के खम्भे) से बाबूलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग राड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.053
4	सिद्धार्थनगर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०प० उसका बाजार	मो० लोहिया नगर में पिंच रोड नरसिंह के मकान से रोनामती बालिका इण्टर कालेज तक इण्टरलाकिंग राड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.148
5	सिद्धार्थनगर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०प० उसका बाजार	मो० इन्दिरानगर में राच्च दरबार से राजू उपेन्द्र एवं श्यामदेव व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	27.069
6	सिद्धार्थनगर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०प० उसका बाजार	मो० इन्दिरानगर में उदयराज के घर से रामीलाल के घर तक पारस से रामजोता, सीताराम गिश, हरिद्वार रामदेव तक ए० सहदेव के घर से प्रगोद के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	13.959



355/2

दूरधारा 2286709  
2286710  
नव चेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक / मालिन	निकाय का नाम	बस्टी/वार्ड का नाम	प्रथम किश्ति की धनराशि का प्रेषण
7	सिद्धार्थनगर	मलिन बस्टी-83 बजट	न०प० उसका बाजार	म०० इन्दिरानगर में सहदेव के घर से पिच रोड तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	10.805 106.648

योग उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बरितियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये।

- 1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय रत्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय रत्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में रामुखित रख्य-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दूढ़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुगम्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



३५१३

दूरध्वाः 2286709  
2286710

नव चंतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टर्ज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता - सूडा
4. कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग - सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक